UPST010053842026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–12, सुलतानपुर।
फौजदारी प्रकीर्ण वाद संख्या–222/26
शेषवन्ती बनाम जितेन्द्र उर्फ नाटे आदि
थाना–दोस्तपुर, जनपद– सुलतानपुर।

आदेश पत्र

दिनांकः–09.06.2026

प्रार्थिनी शेषवन्ती की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173 (4) भारतीय नाग–रिक सुरक्षा संहिता पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को पूर्व तिथि पर सुना जा चुका है। पत्रावली आज आदेशार्थ नियत है।

2. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थिनी का पुत्र शिवदर्शन उम्र 16 वर्ष सुपुत्र बजरंगी निषाद दिनांक 10/05/2026 को समय करीब 11 बजे दिन में गाँव के तालाब पर शौच हेतु गया था तभी वहाँ पर प्रार्थिनी के गाँव के ही जितेन्द्र उर्फ नाटे सुत स्व० बनारसी निषाद व शेरू सुत उजागिर जो कि प्रार्थिनी के पडोसी भी है वहाँ पर जबरन प्रार्थिनी के पुत्र को पकड लिया व जमीन पर घसीटते हुए पास मे झाड मे खीच ले गये तथा जबरदस्ती प्रार्थिनी के पुत्र के सभी कपडे उतरवाकर उसे पूर्ण रूप से नग्न कर दिया व उसके मुँह मे जबरदस्ती अपना लिंग डालने लगे तथा नीचे पटक कर जबदस्ती उसके गुदा मे अपना लिंग प्रवेश कराने लगे। प्रार्थिनी के पुत्र ने शोर शराबा मचाया तो वे लोग उसके साथ मारपीट करने लगे व उसे बुरी तरह मार पीटकर वहाँ से भाग गये व धमकी दी कि उक्त घटना के बारे में अगर किसी को भी बताया तो तुम्हे जान से मार देगें। घर आकर प्रार्थिनी के पुत्र ने उक्त घटना के बारे मे प्रार्थिनी को बताया तो प्रार्थिनी ने घटना के बावत जितेन्द्र व शेरू से पूछा तो उन्होने प्रार्थिनी के पुत्र को जान से मार देने की धमकी दी व कहा कि दो सौ रूपये खर्चा है जब चाहेगे तभी उसे मा–रकर फेंक देगे। प्रार्थिनी ने घटना के बावत थाना दोस्तपुर पर दिनांक 10/05/2026 को लिखित प्रार्थना पत्र दिया जिस पर कोई कार्यवाही नही की गयी। प्रार्थिनी थाने से कोई कार्यवाही न होने से क्षुब्ध होकर एक प्रार्थना पत्र दिनांक 25/05/2026 को पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर को दिया परन्तु कोई कार्यवाही नही हुई। थक हारकर प्रार्थिनी यह प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रही है।

3. प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शपथ पत्र के माध्यम से समर्थित किया गया है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी द्वारा उच्चाधिकारियों को भेजे गये प्रार्थना पत्र की छायाप्रतियां, रजिस्ट्री रसीद मूल संलग्न की गयी है।

4. थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार दिनांक 15.05.26 को आवेदिका का लड़का शिव दर्शन अपनी मोटरसाइकिल गांव में तेजी से चला रहा था, जिसे इन लोगों द्वारा रोक कर डांटा गया था। जिसकी शिकायत को लेकर इन लोगों में आपस में कहासुनी हुई थी। आवेदिका के द्वारा प्रार्थनापत्र में लगाये गए उन

आरोपों की पुष्टि नहीं पाई गई। प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोप बलहीन व निराधार हैं। इस प्रकरण में थाना स्थानीय द्वारा अभिलेखों की जांच की गई है, जो कि इस प्रकरण में थाना स्थानीय पर कोई अभियोग पंजी–कृत नहीं है।

5. प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में विपक्षीगण जितेन्द्र उर्फ नाटे एवं शेरू द्वारा दिनांक 10.05.2026 को समय करीब 11 बजे दिन में जब प्रार्थिनी का लड़का तालाब पर शौच के लिए गया था तो उसे पकड़कर जमीन पर घसीटते हुए पास की झाड़ी में ले जाकर उसके सभी कपड़े उतरवा कर उसके साथ लैंगिक अपराध किए जाने एवं प्रार्थिनी के पुत्र के शोर मचाने पर उसे बुरी तरह मारने पीटेने एवं धमकी देना बताया गया है। मारपीट के सम्बंध में पत्रावली पर कोई मेडिकल रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। प्रार्थिनी द्वारा प्र–स्तुत प्रार्थनापत्र के आलोक में थाने से प्राप्त आख्या के अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 10.05.26 को प्रार्थिनी का पुत्र/पीड़ित अपनी मोटरसाइकिल गांव में तेजी से चला रहा था जिसको विपक्षीगण द्वारा रोक कर डाटा गया था। जिसकी शिकायत पर उभयपक्ष में आपस में कहासुनी हुई। प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मात्र विपक्षीगण द्वारा उसके पुत्र को डांटने एवं आपस में कहासुनी होने के कारण दिया जाना प्रतीत होता है। प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना कराये जाने का न्यायोचित आधार प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थिनी शेषवन्ती की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173 (4) भारतीय नाग–रिक सुरक्षा संहिता निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(नीरज कुमार श्रीवास्तव)
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो ऐक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या– 12, सुलतानपुर ।
(J.O.Code–UP2693)

<u>दिनांक:–09.06.2026</u>

S.B.YADAV
(STENO)

Digitally signed by NEERAJ KUMAR SHRIWASTAV
Date: 2026.06.09 17:20:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court